भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 102

11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- जैविक खाद और बायो गैस संयंत्र की स्थापना

102*. डॉ. के. सुधाकरः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसानों को जैविक खाद और बायो-गैस संयंत्र स्थापित करने और बेहतर उत्पादकता हेतु अपने खेतों में उनका उपयोग करने के लिए सहायता या राजसहायता प्रदान करने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है;

(ख) देश में जैविक खाद के बड़े पैमाने पर उत्पादन और उसके लिए नीति बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में स्टार्ट अप्स बनाने के लिए प्रदत्त सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मॉडल कृषि आरंभ करने के लिए नीतिगत स्तर पर कोई कार्य किए जा रहे हैं जिनमें ऐसी पद्धतियों/प्रक्रियाओं का ब्यौरा दिया गया है जिनके माध्यम से छोटे और सीमांत किसान खेती को अधिक लाभदायक बना सकते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश के छोटे और सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए विशेष रूप से कर्नाटक सहित राज्यवार उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में मृदा का डिजिटल मानचित्र तैयार करने के लिए कोई

प्रयास किए जा रहे हैं, यदि हाँ तो इसका ब्यौरा दें?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"जैविक खाद और बायो-गैस संयंत्र की स्थापना" के संबंध में दिनांक 11.02.2025 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 102 के भाग (क) से (च) तक का उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) की योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) योजना लागू की जा रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को आद्योपांत समर्थन देने पर बल देती हैं, यानी उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, प्रमाणन एवं विपणन और फसलोपरांत प्रबंधन प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण तक। पीकेवीवाई के तहत, जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से किसानों को 3 वर्ष की अवधि के लिए 15,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठन के सृजन, जैविक इनपुट के लिए किसानों को सहायता आदि हेतु 3 वर्षों के लिए 46,500 रुपये/हेक्टेयर की सहायता प्रदान की जाती है। इसमें से, किसानों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूप में 15,000 रुपये सहित इस योजना के तहत ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक आदानों हेतु 3 वर्षों के लिए 32500 रुपये/हेक्टेयर की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण-II में कंप्रेस्ड बायो गैस (सीबीजी) संयंत्रों द्वारा उत्पादित लिक्विड फ़र्मेंटेड जैविक खाद (एलएफओएम)/फ़र्मेंटेड जैविक खाद (एफओएम) को गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) के तहत समर्थन दिया जाता है। जैविक खाद के उत्पादन और उपयोग को समर्थन देने के लिए एफओएम, एलएफओएम और फॉस्फेट युक्त जैविक खाद (पीआरओएम) के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन (एमटी) की दर से बाजार विकास सहायता (एमडीए) प्रदान की जाती है। 81 सीबीजी संयंत्रों में से 43 ने उर्वरक विभाग के आईएफएमएस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है और पात्र लाभार्थियों को 16.01 करोड़ रुपये का एमडीए जारी किया गया है।

सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने में प्रोत्साहित करने के लिए "धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता, पोषण और उन्नति के लिए पीएम कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के तहत, सब्सिडी बचत का 50% जैविक और प्राकृतिक खेती और जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए राज्य को अनुदान के रूप में दिया जाएगा।

(ग): जी हाँ। वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)-डीपीआर के तहत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम के तहत स्टार्ट-अप का समर्थन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश में वित्तीय सहायता प्रदान करके और इंक्यूबेशन इकोसिस्टम के पोषण से नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है। कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्ट-अप शुरू किए जा रहे हैं। पांच नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और चौबीस आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर (आर-एबीआई) कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। स्टार्टअप्स को अपने उत्पाद, सेवाएं, व्यवसाय प्लेटफॉर्म आदि लॉन्च करने और व्यवसाय व्यवहार्यता के लिए उत्पादों और संचालन को बढ़ाने में सहायता करने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उद्यमियों को आइडिया/प्री सीड स्टेज पर 5 लाख रुपये और सीड स्टेज पर 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। 1749 स्टार्टअप्स को अनुदान सहायता के रूप में 124.96 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया है।

(घ): किसानों को प्रमाणीकरण अपनाने और प्रमाणित जैविक उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पीकेवीवाई और एमओवीसीडीएनईआर के तहत दो प्रकार की जैविक प्रमाणीकरण प्रणालियों (सहभागी गारंटी प्रमाणन प्रणाली-पीजीएस इंडिया) और राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम तृतीयक पक्ष (एनपीओपी) को बढ़ावा दिया गया है। पीकेवीवाई के अंतर्गत एनपीओपी प्रमाणीकरण और पीजीएस-इंडिया प्रमाणीकरण के तहत कवर किया गया कुल संचयी राज्यवार जैविक क्षेत्र 59.74 लाख हेक्टेयर है, जो **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन (एनएमएनएफ) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका कुल परिव्यय ₹2481 करोड़ है (भारत सरकार का हिस्सा ₹1584 करोड़ और राज्यों का हिस्सा ₹897 करोड़)। इस योजना में 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 15,000 प्राकृतिक कृषि क्लस्टर बनाने की परिकल्पना की गई है। मिशन के तहत किसानों को प्राकृतिक खेती के इनपुट आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट रिसोर्स सेंटर (बीआरसी) की परिकल्पना की गई है। प्राकृतिक खेती पर व्यावहारिक प्रशिक्षण देने के लिए लगभग 2060 प्राकृतिक कृषि मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे। प्रशिक्षित किसानों के लिए, प्री मानसून ड्राई सोइंग (पीएमडीएस), बीजामृत, जीवामृत आदि का प्रयोग, डाइवर्सिफाइड फसल प्रणाली, प्राकृतिक कृषि के बारे में जागरूकता, पशुधन का रख-रखाव, प्राकृतिक कृषि इनपुट तैयार करना या बीआरसी से प्राकृतिक कृषि इनपुट खरीदना, इनपुट तैयार करने के लिए ड्रम और भंडारण कंटेनर खरीदना आदि जैसे प्राकृतिक कृषि पैकेज के अभ्यास के लिए योजना में 2 वर्ष तक प्रति किसान प्रति एकड़ प्रति वर्ष 4,000 रुपये का उत्पादन आधारित प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

(ड.): अब तक पीकेवीवाई योजना के तहत 25.30 लाख किसान और एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत 2.19 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। कर्नाटक सरकार ने बताया कि पीकेवीवाई के तहत 37,598 किसान लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से 9,813 छोटे और सीमांत किसान इस योजना में शामिल हैं। पीकेवीवाई योजना (कर्नाटक सहित) और एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत किसानों का राज्यवार विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है। वर्ष 2022-23 से पीकेवीवाई (कर्नाटक सहित) और एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-III** पर दिया गया है।

(च): सरकार मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता योजना को लागू कर रही है। अब तक 24.77 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें से 1.77 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड कर्नाटक राज्य में जारी किए गए हैं। भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण (एसएलयूएसआई) ने कर्नाटक राज्य के 31 जिलों में 36.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग करते हुए 1:10K पैमाने पर विस्तृत मृदा सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। यह योजना मृदा श्रृंखला विशेषताओं, लक्षण वर्णन और टैक्सोनोमिक वर्गीकरण पर विवरण प्रदान करती है। राज्य में मृदा स्वास्थ्य और भूमि उपयोग पैटर्न को समझने के लिए भूमि क्षमता हेतु मृदा के इंटरप्रीटेटिव ग्रुपिंग, मृदा और भूमि सिंचाई की उपयुक्तता और हाइड्रोलॉजिक मृदा ग्रुपिंग भी की गई है।

भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण (एसएलयूएसआई) और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी, इसरो) ने मिलकर पूरे कर्नाटक राज्य (19.17 मिलियन हेक्टेयर) के लिए रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग करके 1:50K स्केल पर मृदा संसाधन मैपिंग को भी पूरा कर लिया है। भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण ने कर्नाटक राज्य के 111 मॉडल गांवों में मृदा उर्वरता मानचित्र तैयार करने का कार्य भी पूरा कर लिया है।

अनुबंध-I

वर्ष 2023-2024 तक पीकेवीवाई के तहत जैविक खेती एनपीओपी (एमओवीसीडीएनईआर सहित) + पीजीएस के तहत कवर कुल संचयी क्षेत्र का राज्यवार विवरण

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

क्र.सं.	राज्य का नाम	एनपीओपी	पीकेवीवाई के तहत पीजीएस
1	आंध्र प्रदेश	63,678.69	3,60,805
2	बिहार	29,062.13	31,561
3	छत्तीसगढ़	15,144.13	1,01,279
4	गोवा	12,287.40	15334
5	गुजरात	6,80,819.99	10000
6	हरियाणा	2,925.33	-
7	हिमाचल प्रदेश	9,334.28	18748
8	झारखंड	54,408.20	25300
9	केरल	44,263.91	94480
10	कर्नाटक	71,085.99	20900
11	मध्य प्रदेश	11,48,236.07	74960
12	महाराष्ट्र	10,01,080.32	66756
13	ओडिशा	1,81,022.28	45800
14	पंजाब	11,089.41	6981
15	तमिलनाडु	42,758.27	32940
16	तेलंगाना	84,865.16	8100
17	राजस्थान	5,80,092.22	148500
18	उत्तर प्रदेश	66,391.34	171185
19	उत्तराखंड	1,01,820.39	140740
20	पश्चिम बंगाल	8,117.80	21400
21	असम	27,079.40	4400
22	अरुणाचल प्रदेश	16,537.53	380
23	मेघालय	29,703.30	900
24	मणिपुर	32,584.50	600
25	मिजोरम	14,238.30	780
26	नागालैंड	16,221.56	480
27	सिक्किम	75,729.78	63000
28	त्रिपुरा	20,481.36	1000
29	जम्मू एवं कश्मीर	34,746.75	5160
30	पांडिचेरी	21.51	-
31	दिल्ली	9.60	-
32	लद्दाख	-	10480
33	दमन और दीव	-	642
34	दादर एवं नगर हवेली	-	500
कुल		**44,75,836.90**	**1498583**
कुल योग (एनपीओपी + पीजीएस)		**5974419.90**	

स्रोत: एपीईडीए + पीजीएस

अनुबंध-II

वर्ष 2015-16 से पीकेवीवाई योजना (कर्नाटक सहित) और एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत लाभान्वित किसानों का राज्यवार विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	किसान
पीकेवीवाई		
1	आंध्र प्रदेश	7,46,976
2	बिहार	43,208
3	छत्तीसगढ़	60,294
4	गुजरात	17,836
5	गोवा	12,685
6	झारखंड	32,714
7	कर्नाटक	37,598
8	केरल	3,10,841
9	मध्य प्रदेश	1,16,360
10	महाराष्ट्र	87,350
11	ओडिशा	70,026
12	पंजाब	6,676
13	राजस्थान	2,17,479
14	तमिलनाडु	37,886
15	तेलंगाना	18,405
16	उत्तर प्रदेश	2,73,672
17	पश्चिम बंगाल	48,585
18	असम	9,740
19	मिजोरम	2,054
20	मेघालय	2,275
21	हिमाचल प्रदेश	44,932
22	जम्मू एवं कश्मीर	12,900
23	उत्तराखंड	3,01,109
24	अंडमान और निकोबार	3,590
25	दमन और दीव	1,324
26	लद्दाख	14,070
	कुल	**25,30,585**
एमओवीसीडीएनईआर		
1	अरुणाचल प्रदेश	15699
2	असम	24,425
3	मणिपुर	42,338
4	मेघालय	19,841
5	मिजोरम	22,104
6	नागालैंड	31,128
7	सिक्किम	38,645
8	त्रिपुरा	25,753
	कुल	**2,19,933**

अनुबंध-III

वर्ष 2022-23 से पीकेवीवाई (बिहार और ओडिशा सहित) और एमओवीसीडीएनईआर योजना के तहत किसानों को प्रशिक्षण सहित वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण

(रूपए लाख में)

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
		रिलीज	**रिलीज**	**रिलीज**
	पीकेवीवाई			
1	आंध्र प्रदेश	-	970.00	2099.00
2	बिहार	1547.68	402.00	312.00
3	छत्तीसगढ़	-	1892.50	1188.00
4	गुजरात	-	196.00	282.00
5	गोवा	-	250.00	70.50
6	झारखंड	-	163.00	399.00
7	कर्नाटक	**512.55**	**2803.00**	**974.00**
8	केरल	1712.07	71.00	392.00
9	मध्य प्रदेश	0.00	33.00	1250.00
10	महाराष्ट्र	449.67	1681.00	1256.00
11	ओडिशा	370.72	791.00	373.50
12	पंजाब	-	-	278.50
13	राजस्थान	1783.26	800.00	750.00
14	तमिलनाडु	-	1564.00	1620.00
15	तेलंगाना	-	-	212.00
16	उत्तर प्रदेश	5089.32	5881.00	4500.00
17	पश्चिम बंगाल	555.39	1717.00	1120.75
18	हिमाचल प्रदेश	-	124.00	746.00
19	उत्तराखंड	5969.00	767.00	2305.00
20	सभी केंद्र शासित प्रदेश	193.55	380.02	2305.00
	कुल	**18183.20**	**20485.70**	**20463.75**
	एमओवीसीडीएनईआर			
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
		रिलीज	**रिलीज**	**रिलीज**
1	असम	2059.15	3684.91	2031.00
2	मणिपुर	2915.36	2805.38	1977.00
3	मेघालय	621.57	2465.40	2343.00
4	नगालैंड	1390.60	2346.10	1735.00
5	मिजोरम	1140.90	2336.16	2380.00
6	अरुणाचल प्रदेश	1642.17	2574.75	988.00
7	सिक्किम	1538.83	3260.69	1219.00
8	त्रिपुरा	3000.26	3370.04	2266.00
	कुल	**14308.84**	**22843.43**	**14939.00**

****